भारत सरकार की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है जिसका कार्यान्वयन सभी राज्य. एवं केन्द्र शासित सरकारों के कृषि विभागों के माध्यम से किया जा रहा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उद्देश्य प्रत्येक किसान को उसके खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी देना है और उन्हें उर्वरकों की सही मात्रा के प्रयोग और आवश्यक मृदा सुधारों के संबन्ध में भी सलाह देना है, ताकि लंबी अवधि के लिए मृदा स्वास्थ्य को कायम रखा जा सके।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक रिपोर्ट होती है जिसे किसान को उसके प्रत्येक जोतों के लिए दिया जाता है। इसमें 12 मानकों जैसे एन.पी.के. (मुख्य–पोषक तत्व), सल्फर (गौण–पोषक तत्व), जिंक, लोहा, ताँबा, मैग्नीशियम, बोरॉन (सूक्ष्म–पोषक तत्व), और पी.एच., इ.सी., जैविक कार्बन (भौतिक पैरामीटर) के संबन्ध में मिट्टी की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा होता है। इसके आधार पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड में खेती के लिए अपेक्षित मृदा सुधारों और उर्वरक सिफारिशों को भी दर्शाया जाता है।

कार्ड में किसान के जोत की मृदा पोषक तत्व स्थिति के आधार पर सलाह निहित होती है। इसमें विभिन्न आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा के संबन्ध में सिफारिशों को दर्शाया जाता है। इसके अलावा इसमें किसानों को उर्वरकों और उसकी मात्रा के संबन्ध में सलाह दी जाती है जिसका उन्हें प्रयोग करना चाहिए। साथ ही मृदा सुधारों की स्थिति के बारे में भी सलाह दी जाती है ताकि उपज का अनुकूल लाभ प्राप्त किया जा सके।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रत्येक तीन वर्षों के अंतराल के बाद उपलब्ध कराया जाएगा, जो उस अवधि के लिए किसान की जोत के मृदा स्वास्थ्य की स्थिति को दर्शाएगा। अगले तीन वर्षों में दिया गया मृदा स्वास्थ्य कार्ड उस अनुवर्ती अवधि के लिए मृदा स्वास्थ्य में परिवर्तनों को अंकित करने में समर्थ होगा।

मृदा नमूनों के मानक

मृदा नमूने जी.पी.एस. उपकरण और राजस्व मानचित्रों की मदद से सिंचित क्षेत्रों में 2.5 हेक्टेयर और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 10 हेक्टेयर के ग्रिड से लिए जाते हैं। सामान्यतः रबी और खरीफ फसलों की कटाई के बाद वर्ष में दो बार मृदा नमूने लिए जाते हैं। राज्य सरकार के कृषि विभाग के कर्मचारियों या बाह्य स्त्रोत एजेंसी के कर्मचारियों के माध्यम से नमूने एकत्रित किए जाते हैं। राज्य सरकार क्षेत्रीय कृषि महाविद्यालयों अथवा विज्ञान महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को भी शामिल कर सकती है। मृदा स्वास्थ्य परीक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एक वर्ष में जांचे गए कुल नमूनों का एक प्रतिशत रैफरल प्रयोगशाला में भेजा जाता है।

मृदा नमूने "V" आकार में मिट्टी की कटाई के उपरांत 15–20 सें.मी. की गहराई से एक प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। यह खेत के चारों कोनों और मध्य से एकत्रित कर पूरी तरह से मिलाए जाते हैं और इसमें से एक भाग नमूने के रूप में लिया जाता है। छाया वाले क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है। चयनित नमूने को एक थैले में बंद कर कोड नंबर दिया जाता है। इसके उपरांत इसे विश्लेषण के लिए मृदा जांच प्रयोगशाला को भेज दिया जाता है।

मृदा नमूने निम्नलिखित तरीके से सहमत किए गए सभी 12 मानदण्डों पर अनुमोदित मानकों के अनुसार जांच किए जाते हैं:

i. राज्य सरकार के कृषि विभाग के स्वामित्व में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (जिला/ब्लॉक स्तर पर) में और उनके स्वयं के कर्मचारियों के द्वारा।
ii. राज्य सरकार के कृषि विभाग के स्वामित्व में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (जिला/ब्लॉक स्तर पर) में परंतु बाह्य स्त्रोत एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा।
iii. बाह्य स्त्रोत एजेंसी के स्वामित्व वाली मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में और उनके कर्मचारियों द्वारा।
iv. कृषि विज्ञान केन्द्र और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) के संस्थानों में।
v. एक प्रोफेसर/वैज्ञानिक के पर्यवेक्षण में विज्ञान महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में विद्यार्थियों द्वारा।

राज्य सरकारों को प्रत्येक मृदा नमूने के लिए कुल 190 रूपये प्रदान किए जाते हैं। इसमें मृदा सैम्पलिंग, परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड सृजन एवं किसानों को वितरण की लागत शामिल है। इस योजना को वर्ष 2015–2016 के दौरान सभी राज्यों में शुरू किया गया है जिसमें तीन वर्षों की अवधि के लिए योजना का कुल परिव्यय 568.54 करोड़ रूपये है। मंत्रालय द्वारा अपनाए गए निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार लगभग 14 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार करने के लिए प्रत्येक तीन वर्षों में 253 लाख मृदा नमूनों का परीक्षण किया जाएगा।

सम्पर्क सूत्र

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का लाभ उठाने हेतु किसान केन्द्र सरकार के स्तर पर अपर आयुक्त (आई.एन.एम.), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली (वेब पोर्टल: www.soilhealth.dac.gov.in) से संपर्क कर सकते हैं। उक्त कार्य हेतु राज्य सरकार के स्तर पर राज्य कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

स्त्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
संकलन एवं सम्पादन: डॉ. अनिल कुमार, डॉ. विनोद कुमार एवं डॉ. आजाद सिंह पंवार
प्रकाशन: निदेशक, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, मोदीपुरम, मेरठ (उ.प्र.)
फोन: 0121–2888711, 2888611 **फैक्स:** 0121–2888546
ई मेल: directoriifsr@yahoo.com **वेबसाइट:** www.iifsr.res.in